



2026:AHC:5283

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

रिट ए संख्या 17969 वर्ष 2025

राम गोपाल

.....याचिकाकर्ता (गण)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य और 3 अन्य

.....प्रतिवादी (गण)

याचिकाकर्ता (गण) के अधिवक्ता : बब्बू राम, गौतम बघेल

प्रतिवादी (गण) के अधिवक्ता : मुख्य स्थायी अधिवक्ता

न्यायालय संख्या 33

माननीय न्यायमूर्ति विकास बुधवार

- हमने याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता श्री गौतम बघेल और राज्य-प्रतिवादियों की ओर से उपस्थित विद्वान अपर स्थायी अधिवक्ता श्री अवधेश कुमार शुक्ला के तर्कों को सुना।
- विद्वान अपर स्थायी अधिवक्ता श्री अवधेश कुमार शुक्ला, ने निवेदन किया कि उन्हें निर्देशों की पूर्ण जानकारी है और ये निर्देश रिट याचिका के निस्तारण के लिए पर्याप्त हैं। वे आगे कोई हलफनामा दाखिल नहीं करना चाहते हैं और याचिका का निर्णय अभिलेख पर उपलब्ध दस्तावेजों के आधार पर किया जाए। अतः पक्षों की सहमति से, रिट याचिका का निर्णय नए सिरे से किया जा रहा है।
- याचिकाकर्ता का मामला यह है कि उन्हें प्रारंभ में 17.06.2025 को कांस्टेबल के पद पर नियुक्त किया गया था, हालांकि, याचिकाकर्ता के एक रिश्तेदार, शिवम शर्मा, जिन्होंने चयन प्रक्रिया में भी भाग लिया था, ने याचिकाकर्ता के प्रमाण पत्रों के संबंध में उनके खिलाफ शिकायत दर्ज कराई। याचिकाकर्ता का यह भी कहना है कि उन्हें गलत सलाह दी गई थी और उन्होंने प्रतिवादियों को किसी भी प्रकार की बाधा उत्पन्न करने से रोकने के लिए एहतियाती उपाय के रूप में रिट-ए संख्या 15242/2025 दायर की थी। हालांकि, प्रतिवादियों द्वारा एक

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



जांच की गई, जिसके परिणामस्वरूप 31.10.2025 को वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, बरेली, तीसरे प्रतिवादी द्वारा याचिकाकर्ता का नाम सूची से हटाने का आदेश पारित किया गया।

4. इसी बात पर सवाल उठाते हुए याचिकाकर्ता ने यह रिट याचिका दायर की है।

5. याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने तर्क प्रस्तुत किया है कि आदेश पारित करने की पूरी प्रक्रिया प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का उल्लंघन है, याचिकाकर्ता को बिना सूचित करते हुए प्रतिकूल साक्ष्यों का उपयोग किया गया है। उनका निवेदन है कि आक्षेपित आदेश को रद्द किया जाए।

6. दूसरी ओर, विद्वान स्थायी अधिवक्ता का कहना है कि याचिकाकर्ता ने धोखाधड़ी की है और उसने अलग-अलग जन्मतिथि वाली दो मार्कशीट प्रस्तुत की हैं। हालांकि, उनका कहना है कि यह स्पष्ट नहीं है कि चुनौती दिए गए आदेश में याचिकाकर्ता को इस संबंध में सूचित किया गया था।

7. मैंने पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ताओं की बात सुनी है और अभिलेखों का ध्यानपूर्वक अध्ययन किया है।

8. तथ्य विवाद का विषय नहीं हैं। एकमात्र मुद्दा जिस पर ध्यान केंद्रित किया जा रहा है वह यह है कि क्या याचिकाकर्ता को सूची से हटाने के आक्षेपित आदेश को पारित करने से पहले प्रतिवादियों के लिए नोटिस जारी करना अनिवार्य था। इसका उत्तर स्पष्ट रूप से "हाँ" है, विशेष रूप से तब जब याचिकाकर्ता को हटाने के लिए प्रतिकूल जानकारी डालने का प्रयास किया जा रहा है।

9. तदनुसार, चुनौती दिए गए आदेश को बरकरार नहीं रखा जा सकता, रिट याचिका का निर्णय निम्नलिखित तरीके से किया जा रहा है:

(क). वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, बरेली, तीसरे प्रतिवादी द्वारा दिनांक 31.10.2025 को पारित विवादित आदेश को रद्द किया जाता है।

(ख) कारण बताओ नोटिस जारी करने और याचिकाकर्ता की सुनवाई के बाद कानून के अनुसार सख्ती से नया आदेश पारित करने के लिए मामले को वापस भेजा जाता है।

(ग) प्रतिवादी 30.01.2026 तक याचिकाकर्ता को कारण बताओ नोटिस जारी करेंगे।

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



(घ) याचिकाकर्ता को 15.02.2026 तक अपना उत्तर प्रस्तुत करना होगा।

(ई) इसके बाद दो महीने की अवधि के भीतर आदेश पारित किया जाएगा।

10. आज की स्थिति को बरकरार रखा जाएगा और याचिकाकर्ता की बहाली पारित किए जाने वाले अंतिम आदेशों के अधीन होगी।

11. तदनुसार, रिट याचिका का निस्तारण किया जाता है।

12. आज दाखिल किए गए निर्देशों को परिशिष्ट ए के रूप में दर्ज किया जाता है।

8 जनवरी, 2026

ए. प्रजापति

(माननीय न्यायमूर्ति विकास बुधवार)